न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश सहारण RAS

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम प्रकरण संख्या 97/2023

1. ताराचंद पुत्र पुर्णराम, जाति नायक, निवासी चक 2 एफएम(फुलेवाला), तहसील घड़साना

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार(राजस्व), घड़साना

1. अधिवक्ता राजेन्द्र सिंह–प्रार्थी अधिवक्ता।
2. राज पैरोकार तहसीलदार घड़साना।

निर्णय दिनांक :– 02.09.2024

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ताराचंद के अभिभाषक उपस्थित पैरोकार राज उपस्थित संक्षेप में विचारण तथ्य पत्रावली इस प्रकार से है कि प्रार्थी ताराचंद/अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.01.2018 को प्रार्थना पत्र 9नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 9नियम 4 एवं धारा 151 सीपीसी स्वीकार हो चुका है। प्रार्थी ताराचंद द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम दिनांक 31.01.1990 प्रस्तुत कर निवेदन किया किया कि प्रार्थी द्वारा चक 2 एफ.एम मु.नं. 167/150 का 25 बीघा इकरारनामा से खरीदशुदा है। समन फीस जमा करवाने को तैयार है बाद सुनवाई शमन फीस जमा करवाकर नियमितीकरण करने की प्रार्थना की पत्थर नम्बर के बाद में आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ दिनांक 12.08.2004 द्वारा 167/150 के स्थान पर 167/15 पढ़ा जाने का आदेश हुआ व स्वयं प्रार्थी द्वारा भी भूमि चक 2 एफ.एम. बी प.नं. 167/15 की 25 बीघा भूमि बताई जा रही है। अतः इसी अनुसार विचारण किया जा रहा है। यह मामला वर्ष 1990 से चला आ रहा है एवं इस विषय में माननीय राजस्व अपील अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2005 को अंतिम आदेश प्रार्थी को दिया था कि वे एक माह में शमन फीस जमा करावे तो रकबा राज किए जाने का आदेश निरस्त समझकर नियमन की कार्यवाही की जावे। रकम जमा ना होने पर प्रार्थी द्वारा पुनः रकम जमा करवाकर नियमितीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा छूट दिए जाने पर दिनांक 31.08.2008 को नियमितीकरण राशि मय ब्याज जमा करावाने के आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा दिए गए प्रार्थी द्वारा मूल नियमितीकरण राशि 20 बीघा हेतु दिनांक 31.03.2008 को प.नं. 67/15 की 25 बीघा जमा करवाई ब्याज जमा नहीं करवाया जो अब जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थी ने कुल नियमितीकरण राशि जमा करवाई है व ब्याज राशि जमा करवाने को तैयार है। इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है। पत्रावली से यह भी प्रकट होता है कि मूल आवंटिती को खातेदारी सनद भी जारी हुई है।

प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई। प्रार्थी की ओर से योग्य अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जमा राशि चक 2 एफ.एफ प.नं. 167/15 का 25 बीघा मानते हुए ब्याज राशि जमा करवाने की स्वीकृति देने हेतु निवेदन किया व बाद जमा ब्याज चक 167/15 की 25 बीघा का इकरारनामा को वैध करार देकर व खातेदारी का अमल दरामद कर नियमानुसार कार्यवाही के आदेश देने की प्रार्थना की। इस संबंध में उनके द्वारा इकरारनामा बाबत विक्रय विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के अंतर्गत करार अनुपालन करवाने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनूपगढ़ निर्णय दिनांक 20.01.1999 की प्रति पेश की का अवलोकन करवाया जिसमें करार पालन का आदेश दिया गया। प्रार्थी वित्तीय कठिनाइयों के कारण ब्याज राशि जमा नहीं करवा सका अब करवाने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर इकरार हस्तांतरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

वैध घोषित करने की व नियमानुसार आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। राज पैरोकार तहसीलदार निर्णय घड़साना के पत्र संख्या भू.अ./2024/489 दिनांक 21.06.2024 द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवंटी चंदुराम पुत्र भोलू जाति मेघवाल कुल 25 बीघा का आवंटन 21.02.1976 का अंतिम किश्त दिनांक 10.05.1990 को जमा की गई एवं सनद क्रमांक 078293 दिनांक 05.12.1996 एवं नामांतरण संख्या 47 दिनांक 06.01.1997 स्वीकृत किया गया इकरारनामा 14.08.1989 को किया गया एवं वर्तमान में उक्त रकबे पर ताराचंद पुत्र पूर्णराम जाति नायक काबिज है। ताराचंद उक्त रकबे पर क्रेता की हैसियत से व माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनूपगढ़ के प्रकरण संख्या 265/98 के निर्णय दिनांक 30 जनवरी, 1999 के आधार पर काबिज है एवं बेचान सनद जारी करने से पूर्व हुआ है। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 अनूपगढ़ में इजराय संख्या 03/2011 जैरकार है। तहसीलदार भू.अ. घड़साना द्वारा उक्त प्रकरण में अंतर्गत धारा 13 ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की अभिशंषा की गई है। राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय की प्रार्थना की।

पक्षकारों के तर्क सुनने के पश्चार्त पूर्व पत्रावली का तर्कों के परिपेक्ष्य में पठन व मनन करने के उपरांत व अपर न्यायाधीश सेशन न्यायाधीश अनूपगढ़ के निर्णय के पठन उपरांत पाया जाता है कि मूल आवंटिती चंदूराम के बजरिए इकरारनामा बैय भूमि प्रार्थी को हस्तांतरण कर कब्जा सौंपा जिसपर आज प्रार्थी ताराचंद काबिज है। उसके द्वारा शमन फीस समयावधि में जमा करवादी नियमतीकरण हेतु प्रार्थना पत्र समयावधि में प्रस्तुत कर दिया। आधा ब्याज बकाया है। नियमितीकरण हेतु आवश्यक शर्तों की आंशिक पालना की। राज्य सरकार की इच्छा भी इस प्रकार के हस्तांरितों को बसाने की है। इसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भी पालना भी की जानी आवश्यक प्रतीत होती है। ब्याज हेतु यद्यपि समयावधि व्यतीत हो चुकी है, किंतु प्राकृतिक न्याय की पालना व राज्य सरकार के समय–समय पर राशि जमा करवाकर नियमितीकरण करने के समय में वृद्धि की गई। अतः विशिष्ट परिस्थिति को देखते हुए ब्याज राशि शमन फीस जमा होने के आधार पर चक 2 एफ.एम मु.नं. 167/15 की 25 बीघा कमांड की मूल राशि दिनांक 31.03.2008 को जमा हो चुकी है। शेष ब्याज आदेश के पन्द्रह दिन में जमा करवाने व मूल आवंटन की यदि कोई बकाया राशि हो तो जमा करवाने की शर्त पर मूल आवंटिती चंदूराम चक 2 एफएम पं. नं. 167/15 का किला नं. 167/15 किला नं. 1 ता 25 कुल 6.325 हैक्ट. कमांड भूमि का आंवटन बहाल किया जाने का आदेश दिया जाता है व इकरारनामा बहस ताराचंद उक्त भूमि का विधि संमत जो बिल किया जाता है। आदेश विधिसमंत घोषित किया जाता है। आदेश की पालना व रकम जमा होने पर रकबा बहाली चंदुराम मूल आवंटिती के नाम अंकित किया जावे जिसका हस्तांतरण पंजीयन ताराचंद मूल आवंटिती ने अपने नाम व वारिसों के नाम करवाने की स्वतंत्रता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तलबीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। ब्याज राशि एवं रकबा बहाली के आदेश अलग से तहसीलदार एवं ताराचंद के नाम से जारी हो।

ओम प्रकाश सहारण RAS
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ

Scanned with OKEN Scanner